ADT/2023/1526-28. dated 4.9.2023

सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान
(चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविधालय, हिसार)

<u>हरियाणा के अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना</u>

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविधालय हिसार के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा "फल व सब्जी परिरक्षण, नर्सरी रेजिंग, बेकरी द्वारा मिल्लेटस के मूल्य-संवर्धित उत्पाद, दुग्ध और इसके मूल्य-संवर्धित उत्पाद और कटाई एवं सिलाई" पर अक्तूबर 2023 से पाँच दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन करने जा रहा है। जो भी हरियाणा के अनुसूचित जाति /जनजाति के बेरोजगार और जरूरतमन्द विशेषकर ग्रामीण युवक या युवती यह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो गेट नंबर 3, लुद्दास रोड़ के नजदीक सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविधालय हिसार मे आकर आवेदन कर सकते हैं। इन प्रशिक्षणों के लिए आवेदक की उम्र प्रमाण-पत्र के अनुसार 18 से कम नहीं होनी चाहिए और वो स्कूल मे अध्ययनरत नहीं होना चाहिए । विकलांग, विधवा, तलाक़शुदा इत्यादि उम्मीदवारों को चयनित कमेटी द्वारा वरीयता दी जाएगी। आवेदन फॉर्म 16 सितंबर 2023 से 30 सितंबर 2023 तक किसी भी कार्य दिवस को 9 बजे से साँय 4.30 तक जमा करवा सकते है। चयनित प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सहायता सामग्री देने का भी प्रावधान है। फॉर्म में सही विवरण न भरने या अधूरा छोड़ने या कोई आवश्यक दस्तावेज न लगाने की अवस्था में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म के साथ इन संव्यम सत्यापित दस्तावेजों की प्रति को संलग्न करना अति आवश्यक है जैसे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, आयु के लिए कोई भी हरियाणा सरकार द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र, हरियाणा सरकार द्वारा जारी अनुसूचित-जाति/जन-जाति प्रमाण-पत्र, आधार-कार्ड, संव्यम सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो, सक्रिय बैंक अकाउंट की कॉपी के पहले पृष्ठ की प्रति जिस पर खाताधारक और बैंक का विवरण दिया हो इत्यादि। फॉर्म भरने से पहले ध्यान दिया जाए कि परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले इस विश्वविध्यालय या इसके संबन्धित हरियाणा के किसी भी कृषि विज्ञान केन्द्रों/संस्थानों से अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों के लिए सहायता प्राप्त स्कीम के तहत किसी भी तरह का प्रशिक्षण न किया हुआ हो और इस संबंध में उम्मीदवार को एक अंडर-टेकिंग इस संस्थान मे देनी होगी। आवेदक को निर्धारित फॉर्म भर कर ही खुद के हस्ताक्षर करने होंगे वरना उम्मीदवार का फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा।

दिनाँक

डॉ. ए.के. गोदारा

सह: निदेशक (प्रशिक्षण),
एस.एन.आई.ए.टी.टी.ई., हिसार

CC:

1 विस्तार शिक्षा निदेशक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
2 मीडिया सलाहकार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (सूचना का अखबारों के द्वारा संचार)
3 कम्प्युटर विभागाध्यक्ष, COBS&H, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (सूचना को विश्वविद्यालय की वैबसाइट पर डालने के लिए)।